संख्याः 1026 /XXIV-3/08/02(31)2008

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 16 जुलाई,2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 66997/5य–1/एस0सी0पी0/2007–08 दिनांकः 14.03.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ 03 में उल्लिखित 03 राजकीय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–5 पर उल्लिखित टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 कुल रू0 235.19 लाख (रूपये दो करोड, पैंतीस लाख, उन्नीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए स्तम्भ–6 में अंकित विवरणानुसार कुल **रू0 92.19 लाख (रूपये बायनबे लाख उन्नीस हजार मात्र)** की धनराशि को शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/2008/02 (37)2008 दिनांकः16 अप्रैल,2008 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रूपये 500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	आगणन की औचित्यपूर्ण लागत	स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	बागेश्वर	रा0इ0का0 रवाईखाल,	उत्तरा0पेय0सं0वि एवं नि0 नि0 इकाई बागेश्वर	74.14	29.14
2.	बागेश्वर	रा0इ0का0 कन्यालीकोट,	उत्तरा0पेय0सं0वि एवं नि0 नि0 इकाई बागेश्वर	87.58	34.58
3.	बागेश्वर	रा0इ0का0 सलानी	उत्तरा0पेय0सं0वि एवं नि0 नि0 इकाई बागेश्वर	73.47	28.47
		योगः–		235.19	92.19

(1) उपर्युक्त विद्यालयों के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

क्रमशः.....2

(2) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गई है।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भविज्ञा से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात स्थल दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(10) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(11) उक्त निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराया जाय। कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए तथा कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा,

क्रमशः.....3

आयोजनागत–202–माध्यमिक शिक्षा,–02–अ0सू0जा0 के लिय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–अ0सू0 जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0,इ0का0 के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 170(P)/XXVII(3)/2008 दिनांक 08 जुलाई,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्याः **1026(1)/XXIV-3/08/02(31)2008** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड ।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
8– कोषाधिकारी, बागेश्वर ।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर ।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
15– सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

अर्पण